राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1529 1530/2014 जिला : जयपुर.................................

उनवान मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. बनाम जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

श्री मदन लाल,,सदस्य

10.09.2014 अपीलार्थी के ओर से श्री मनु वर्मा, महाप्रबंधक एवं विभाग की ओर से श्री नरेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उपस्थित।

यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2012–13 व 2013–14 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.07.2014 में कायम मांग राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष रू. 1,35,76,795/– व रू.3,39,30,501/– पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाने के कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी टेबलेट का व्यवसाय करता है.जिसकी बिक्री अनुसूची चतुर्थ के पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कम्प्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से की है । जबकि कर निर्धारण अधिकारी का मानना है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेबलेट (आई पैड), मोबाईल एवं लेपटॉप आदि की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है और उसके द्वारा विक्रीत वस्तु टेबलेट (आई पैड) अधिनियम की अनुसूची I,II,III, IV and VI की किसी भी प्रविष्टि में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची चतुर्थ अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर कर,ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियां आरोपित की गयी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों पर अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों पर स्थगन हेतु स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के ओर श्री मनु वर्मा, प्रबंधक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी टेबलेट का व्यवसाय करता है.जिसकी बिक्री अनुसूची चतुर्थ के पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कम्प्यूटर सिस्टम के अन्तर्गत मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से की है। उनका कथन है कि वैट अधिनियम के अन्तर्गत कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरिफेरल्स को परिभाषित नहीं किया गया है अतः कुम्प्

10.09.2014

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उपलब्ध कम्प्यूटर की परिभाषा से लेबलेट आच्छादित होने के कारण टेबलेट अनुसूची चतुर्थ के पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 3 से आच्छादित होने से उसके द्वारा टेबलेट की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई है। विशिष्ट रूप से इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.05.2013 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि कस्टम टेरिफ के तहत् टेबलेट को कम्प्यूटर हेडिंग में शामिल किया गया है । अतः उक्त 5 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है। पुनः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों को दोहराते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित अवशेष राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया ।

विभाग की ओर से श्री नरेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेबलेट (आई पैड), मोबाईल एवं लेपटॉप आदि की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है और उसके द्वारा विक्रीत वस्तु टेबलेट (आई पैड) अधिनियम की अनुसूची I,II,III, IV and VI की किसी भी प्रविष्टि में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची चतुर्थ अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है। कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत् जारी अनुसूचीयों के तहत् वस्तु विशेष पर विशिष्ट दर अधिसूचित होने की दशा में, विशिष्ट दर ही लागू किये जाने योग्य है एवम् जारी अनुसूचियों में टेबलेट विशेष रूप से अंकित नहीं होने के कारण 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के जरिये टेबलेट के विक्रय पर आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को विधिसम्मत होना प्रकट कर, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग में होना अवधारित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । अवशेष कर दर पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों व अधिनियम के तहत् जारी अनुसूचियों का अवलोकन के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तगत प्रकरण में कर दर का सारभूत विधिक महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तर्वलित है । अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक ओवदन पत्र स्वीकार किये जाकर, वसूली योग्य मांग राशि शेष रू. 1,35,76,796/– व रू.3,39,30,501/–की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः

लगातार.....3

ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

10.9.2015

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य